बिहार सरकार
अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0– 5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014– 300

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक – 29.01.2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम अनुपूरक के आगणन से "मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधावृत्ति योजना" के तहत् बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को क्रमशः ₹10,000/– (दस हजार रू0) एवं ₹ 8,000/– (आठ हजार रू0) तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु0 जाति के छात्राओं को वृत्तिका योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा को क्रमशः ₹15,000/– (पन्द्रह हजार रू0) एवं ₹10,000/– (दस हजार रू0) की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु इंटर उत्तीर्ण के लिए अनु0 जाति मद में ₹9,80,32,000/– (नौ करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार रू0), मात्र की अतिरिक्त स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उपबंधित राशि एवं उद्व्यय के आलोक में राज्य स्कीम मांग सं0–44 के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0107–शिक्षा– विषय शीर्ष–0107.34.01– छात्रवृत्ति/वजीफा– विपत्र कोड–44–2225012770107 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

3– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्णता के अनुसार संबंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जाएगा।

4– इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्यां–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5– शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी मेधावृति की राशि बिहार कोषागार संहिता–2011 के माध्यम से BTC-43 पर निकासी कर DBT के माध्यम से सीधे संबंधित लाभुकों के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। मेधावृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6– राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– इस राशि की स्वीकृति पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014 के पृ0– /टि0 पर प्राप्त है।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29.01.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014–300 पटना, दिनांक– 29.01.2016

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.16

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014–300 पटना, दिनांक– 29.01.2016

प्रतिलिपिः– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.01.16

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014–300 पटना, दिनांक– 29.01.2016

प्रतिलिपिः–निदेशक/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा0–5(निदे0)/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.01.16

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0(मेधावृत्ति)–61–01/2014–300 पटना, दिनांक– 29.01.2016

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

27.01.16

सरकार के सचिव।